फर्द अहकाम

मधु देवी बनाम रामनारायण

य

20/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/1/25 को पेश हों। 2	
30/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्रति. सं. 1 अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी को बहस सुनी गई। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियम से [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
त्र : 20/2023
दिनांक : 30.01.2025

उनवान

वी पुत्री स्व० श्री मूलचन्द पत्नी बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील नेर, जिला जयपुर, राजस्थान

वादीया

बनाम

रायण पुत्र स्व० पांचू निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

पुत्री स्व० पांचू पत्नी झूथाराम निवासी नौपुरा झूण्ड, तहसील फागी, जिला जयपुर

पुत्री स्व० पांचू पत्नी नब्छीलाल निवासी रामनगर कॉलॉनी, तेजाबाला पोस्ट कपुरावाला, ल सांगानेर, जिला जयपुर

ारी पुत्री स्व० पांचू पत्नी रामस्वरूप निवासी बान्यावाली ढाणी, ग्राम कपुरावाला पोस्ट वाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

बैरवा पुत्र नारायण निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता तहसील कार्यालय तहसील सांगानेर, र

जेयक सांगानेर द्वितीय पता तहसील कार्यालय सांगानेर के ऊपर, सांगानेर, जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 30.01.2025

वादीया की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम पंवालिया, पटवार हल्का या, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे वादी के नाम खातेदारी कृ ने नया खाता संख्या 231 के खसरा नम्बर 310 रकबा 1.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1. हैक्टयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 1.6600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.7500 कुल खसरा 4 कबा 5. 4300 हैक्टयर स्थित है जिसके साबिका खसरा नं० 193, 194, 869 व 870 कुल खसरा 4 25 बीघा 7 बिस्वा अर्थात 6.41 हैक्टयर थे। जो राजस्व जमाबन्दी मे वादी के नाम से दर्ज है। ग्राम या, पटवार हल्का पंवालिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे दीगण की माताजी स्व० धापू देवी पत्नी पांचू के नाम से खातेदारी भूमि खाता संख्या 270 के खसरा 315 रकबा 0.1500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.0800, हैक्टयर खसरा नम्बर 317 रकबा 0, हैक्टयर, खसरा नम्बर 318/1 रकबा 0.3988 हैक्टयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.1188 हैक्टयर है जिसकी राजस्व जमाबन्दी मे हिस्सा 693/5297 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की माता धापू देवी म राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी 1 लगायत 4 है तथा हिस्सा 4604/5297 प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सरा नम्बर 314, 311 के लगवा पूर्व की ओर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि सरा नम्बर 315, 316 व 317 स्थित है जो इस वाद पत्र मे वादग्रस्त है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 गायत 5 के उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बरान् के मध्य सीमा को लेकर वाद विवाद होते रहते है प्रतिवादीगण ा भूमि खसरा नम्बर 315, 316 व 317 मे वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 314, व 311 को मिलाने के ल्पित उद्देश्य के लिए आये दिन मेडबन्दी व तारबन्दी को तोडने की कौशिश करते है जिन्हें मना करने झूठे आरोपो मे फसाने की धमकी देते है तथा दिगर व्यक्ति संस्था को वादग्रस्त भूमि का बेचान कर जा करवाने की धमकी देते है। वर्तमान मे सांगानेर क्षेत्र मे जमीनो के बाजार भाव बढ गये हैं प्रतिवादी ख्या एक लगायत पांच अन्य भू–माफिया लोगो से मिलकर वादग्रस्त भूमि पर आवासीय व्यवसायिक गैर षि निर्माण करने व करवाने पर आमादा हैं तथा वादी के खसरा नम्बरान् की भूमि को स्वंय की भूमि मे लाने की कुचेष्टा करते है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही हैं। दिनांक 15–01–2023 को कुछ जनवी व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर आये और मौका देखकर नाप जोख करने लगे व वादी की मेडबंदी व रबन्दी को हटाने लगे जिन्है मना किया तो उन्हौने कहा कि हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने भेजा वे वादग्रस्त भूमि को बेच रहे है। जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से सम्पर्क कर बिना माइान करवाये वादग्रस्त भूमि को न विक्रय करने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या । लगायत 5 ग बबूला हो गये तथा उन्हौने वादिया को धमकी दी कि हम तुम्हें एस.सी./एस.टी. के झूठे मुकदमो में सा देगे और तुम्हारी भूमि पर कब्जा कर लेगे। प्रतिवादीगण की उक्त धमकी के कारण वादी को यह वाद । श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यदि प्रतिवादी संख्या एक लगायत पांच रा वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य करवाने के उद्देश्य से वादग्रस्त खसरा बरान् का बिना सीमांकन हुये वादी की मेडबंदी व तारबन्दी को हटाकर निर्माण कर कब्जा कर लिया ता हैं तो वादी को गम्भीर क्षति कारित होगी तथा पक्षकारो मे बाद बहुलता होगी। प्रतिवादीगण को रिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र के मद संख्या तीन में वर्णित खसरा नंबरान भूमि दग्रस्त में मेडबन्दी व तारबन्दी को नही हटाये तथा आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य न करे था वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त व उपयोग में बाधा कारित न मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये खे। वाद कारण दिनांक 15–01–2023 को अजनवी व्यक्तियों द्वारा मौका देखने व वादी की मेडबन्दी व रबन्दी को हटाने व प्रतिवादीगण से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा एलानिया धमकी दिये जाने से उत्पन्न कर निरन्तर जारी हैं।

अतः वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि वादी प्रतिवादीगण ाद पत्र के मद संख्या तीन में वर्णित खसरा क्रमांक 314, 311 व खसरा क्रमांक 315, 316, 317 की डबंदी व तारबंदी को नही हटाये तथा आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य न करे तथा वादी के ान्तिपूर्ण कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे बाधा कारित न करें मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये खे। हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादीया उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 2 व 5 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित । प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के विरूद्ध 08.05.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब पेश नही। प्रतिवादी संख्या 1 का दिनांक 05.09.2024 को जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

30.01.2025 को अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही

पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता की सुनी गई। वादिया अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों ाया एवं अंत में निवेदन किया कि वादी प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद संख्या तीन में वर्णित खसरा ı4, 311 व खसरा नम्बर 315, 316, 317 की मेडबंदी व तारबंदी को हटाया नहीं जा सकता है। ı, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य न करे तथा वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त व उपयोग मे बाधा कारित न करें मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की बहस पर रने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि वाके ग्राम पंवालिया, पटवार हल्का पंवालियां, भू–अभिलेख ; क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि नया खाता 231 के खसरा नम्बर 310 रकबा 1.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.9100 हैक्टयर, खसरा 313 रकबा 1.6600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.7500 कुल खसरा 4 कुल रकबा 5.4300 : स्थित है जिसके साबिका खसरा नं० 193, 194, 869 व 870 कुल खसरा 4 रकबा 25 बीघा 7 अर्थात 6.41 हैक्टयर थे। जो राजस्व जमाबन्दी मे वादीया के नाम से दर्ज है। वादीया की कृषि भूमि नम्बर 314, 311 है व प्रतिवादी 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 315, 316 व : जो वादग्रस्त है। और वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य सीमा का लेकर विवाद है। प्रतिवादीगण को ा की वादग्रस्त आराजी में दखल देने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना उचित समझते है ।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम पंवालिया, पटवार पंवालिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त जीयात खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 314, 311 व 315, 316, व 317 में प्रतिवादीगण को स्थाई ाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो खसरा नम्बर 314, 311 व 315, 316, व 317 की मेडबन्दी व न्दी को नही हटाये तथा उसमें आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य न करे तथा वादीया के त पूर्ण कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा क़ारित न करे व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती ये रखे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर